



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की शुक्रवार, दिनांक 15.06.2018 को समय
अपराह्न 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.04.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है) (पृष्ठ क्र.- 1-4)
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.04.2018 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
03. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु (पृष्ठ क्र.- 5-7)
 - (i) शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार BCA-I सीट-30 सत्र 2018-19 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।
 - (ii) शास. नागर्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर M.Sc. Biochemistry- Prev. (I & II Sem.) (10 Seats) 2018-19 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।
 - (iii) सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा, राजिम, रायपुर M.Sc. Final - Chemistry (III & IV Sem.) (15 Seats) सत्र 2016-17 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।
 - (iv) शांत्रीबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महा. महासमुंद DCA (30 Seats) सत्र 2018-19 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।
 - (v) श्यामबालाजी महाविद्यालय, महासमुंद PGDCA (30 Seats), DCA (30 Seats) सत्र 2018-19 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।
04. दिव्यांग छात्र को परीक्षा अवधि में अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर विचार करना। (पृष्ठ क्र.- 8-12)
05. स्वशासी महाविद्यालय में प्रारंभ किये गये नवीन पाठ्यक्रम—‘मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस’ के उपाधि के प्रारूप पर विचार करना। (पृष्ठ क्र.-13)
06. नवीन अध्यादेश Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology के अनुमोदन पर विचार करना। (पृष्ठ क्र.-14)
07. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार गठित समिति की अनुशंसा, Draft Regulation - Intellectual Property Right Policy के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र.-15-25)
08. छ.ग. राज्य के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र.-26-27)
09. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश पत्र क्र. एफ 17-1/18/38-1 दिनांक 18. 04.2018 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा का नवीन नाम “श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)” किये जाने की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र.-28-29)
10. सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र.-30)
11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

3. अस्थायी सम्बद्धता

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार	BCA-I	30	2018–19	1. प्रो. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर अ.शा. पं. र. शु.वि.वि. रायपुर
स्थापना वर्ष –1971-72 शासन का आदेश – 202 / 137 / आउशि / योजना / 17 दि. 12.10.2017					
निरीक्षण तिथि : 11.05.2018 महाविद्यालय कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम BCA-I (30 सीट) के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। उक्त पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से प्रारम्भ करने के लिए निम्न कि आवश्यकता होगी। 1. नवीनतम Configuration के 10 (दस) नग कम्प्यूटर क्रय किया जाना आवश्यक है। 2. प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित 20,000 (बीस हजार) की पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक होगा। 3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए 02 कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा। 4. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साप्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक होगा।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर	M.Sc. Biochemistry- Prev. (I & II Sem.)	10	2018–19	1. डॉ. एस.सी. नैथानी, लाईफ साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि. रायपुर 2. डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, लाईफ साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि. रायपुर
स्थापना वर्ष –1947-48 शासन का आदेश – पत्र क्र. 366 / 2017 / 38-1 दि. 09.10.2017					
निरीक्षण तिथि : 03.05.2018 This is the report pertaining to visit of Prof. V. Rai and Prof. SC Naithani to Govt. Nagarjun PG College of Science, Raipur, for the affiliation of the self-finance course of M.Sc. in Biochemistry. Following is the status report. 1- The institution has its own building with adequate theory classroom and laboratory for 10 students, as proposed. 2- One permanent Assistant professor is working. Two ad-hoc Assistant Professors will be employed as per the workload. 3- The non-teaching staff required for running the proposed courses is adequate. 4- Adequate equipments are available in the laboratory [List is attached]. 5- Library has sufficient number of books on each paper taught in MSc Biochemistry [List is attached].					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iii)	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा, राजिम, रायपुर	M.Sc. Final - Chemistry (III & IV Sem.)	15	2016–17	1. डॉ. एस.के. चटर्जी, प्राचार्य, एन.आर.एम. शास. कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) 2. डॉ. बी.एस. छाबड़ा, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, अभनपुर
	स्थापना वर्ष –1993-94 शासन का आदेश – क्र 102/29/आजशि/अशै.प्र./2016 दि. 13.06.2017				
	निरीक्षण तिथि : 18.04.2018 सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा, राजिम में एम.एस–सी. (अंतिम) 12 रसायन शास्त्र हेतु सम्बद्धता हेतु निरीक्षण दिनांक 28.04.2018 को निरीक्षण समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट निम्न बिन्दुओं पर की गई है :– 1. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है। अधोसंरचना तथा फर्नीचर पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में परिनियम 28 के अन्तर्गत एक सहायक प्राध्यापक कार्यरत् है। शेष (03) सहायक प्राध्यापक परिनियम 28 के अंतर्गत नहीं हैं। गैर शैक्षणिक लैब स्टाफ (02) हैं। 3. स्नातक स्तर पर एक प्रयोगशाला तथा Balance room है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगशाला तथा Instrumentation room है। 4. ग्रन्थालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त (17560) है। रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर पर 325 पुस्तकें हैं। छात्र संख्या के आधार पर और अधिक पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 5. स्नातकोत्तर स्तर पर और अधिक उपकरणों की आवश्यकता है। 6. रसायन शास्त्र विभाग में केवल (01) एक Computer है और अधिक Computer क्रय किये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर महाविद्यालय के एम.एस.सी. अंतिम रसायन शास्त्र सम्बद्धता हेतु है। इन शर्तों के साथ पात्र है कि और अधिक पुस्तकें, उपकरण एवं कम्प्यूटर क्रय किये जायें।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iv)	शांत्रीबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महा. महासमुंद	DCA	30	2018–19	1. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शास. नागर्जुन पीजी विज्ञान महावि. रायपुर
	स्थापना वर्ष –1993-94 शासन का आदेश – क्र 1947/1287/आजशि/अशै.प्र./2016 दि. 13.06.2017				
	निरीक्षण तिथि : 20.04.2018 आज दिनांक 20.04.2018 को शांत्रीबाई कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद का निरीक्षण किया गया और पाया कि :– अधोसंरचना पर्याप्त है। 1. अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 21 कम्प्यूटर हैं। 9 और नये Computer की आवश्यकता है। Licensed Software नहीं है। Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है। 3. कम्प्यूटर के 3 शिक्षक हैं, लेकिन परिनियम 28 में कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। 4. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार Standard Books क्रय करने की आवश्यकता है।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(v)	श्यामबालाजी महाविद्यालय, महासमुंद	PGDCA DCA	30 30	2018–19	1. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. छ्वी.के. पटले, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
	स्थापना वर्ष – 2014-15 शासन का आदेश – क्र एफ-17-66/ 2017/38-2 दि. 24.03.2017				

निरीक्षण तिथि : 09.06.2018

पत्र क्रमांक 6430/अका./2018 दिनांक 30.05.2018 के संदर्भ में महाविद्यालय (PGDCA-30, PGDCA-30 सीट) का आज दिनांक 09.06.2018 को निरीक्षण किया और पाया कि :-

1. महाविद्यालय में प्रयोगशाला पर्याप्त है।
2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में नवीनतम Configuration के पांच और Computer का क्रय करने की आवश्यकता है।
3. पाठ्यक्रम में संबंधित Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।
4. परिनियम 28 के अंतर्गत कम से कम 03 (तीन) कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
5. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित Reference Books छात्र संख्या के अनुपात में क्रय करने की आवश्यकता है।

11. सत्र 2017–18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
2	आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
3	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं.-1131 / 3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
4	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाटा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
5	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं. 2661 / 24, देवरी, भाटापारा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा
6	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन पो.आ.— सेजबहार, जिला— रायपुर
7	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
8	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी—191, देवपुरी, पुँडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
9	प्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
10	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
11	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम—बालसी, सराईपाली, जिला—महासमुंद (छ.ग.)
12	नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला—बलौदाबाजार (2017–18)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण
 (विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018)

1. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	क्रुति स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्लाट नं.-1560, नरदहा, आरंग, रायपुर एन.सी.टी.ई. भोपाल का आदेश – WRC/APP3442/B.Ed./287 th /CG/2018/194 894 Dated- 5 Feb. 2018	B.Ed.- 2 (Two) Year [Two Units of 50 students]	100 (50+50)	2018–19	1. प्रो. बशीर हसन, आचार्य, मनोविज्ञान अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंध संस्थान, पं. र. शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. सी.डी. अगाशे, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अ.शा., पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
निरीक्षण तिथि : 14.06.2018					

2. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार अध्यादेश 45 में कतिपय बिन्दु में विसंगति के परीक्षण हेतु पूर्व में गठित समिति के द्वारा पुनः की गई अनुशंसा विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप : अध्यादेश 45 में कतिपय बिन्दु में विसंगति के परीक्षण हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था –

- प्रो. एच.के. पाठक
- प्रो. ए.के. श्रीवास्तव
- प्रो. स्वर्णलता सराफ
- प्रो. मोयना चक्रवर्ती
- प्रो. राजीव चौधरी

उपरोक्त समिति द्वारा विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार पुनः परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

(विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018)

विषय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार अध्यादेश 45 में कतिपय बिन्दु में विसंगति के परीक्षण हेतु पूर्व में गठित समिति के द्वारा पुनः की गई अनुशंसा विचारार्थ प्रस्तुत ।

टीप : अध्यादेश 45 में कतिपय बिन्दु में विसंगति के परीक्षण हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था –

6. प्रो. एच.के. पाठक
7. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव
8. प्रो. स्वर्णलता सराफ
9. प्रो. मोयना चक्रवर्ती
10. प्रो. राजीव चौधरी

उपरोक्त समिति द्वारा विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के निर्णयानुसार पुनः परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत ।